कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद्, रायपुर

प्रथम तल, डॉ. बालमुकुंद शर्मा क्लीनिक, नगर निगम आयुर्वेदिक हास्पिटल के पास, कंकालीपारा, रायपुर –492001 (छ.ग.)

Tel. & Fax No. 0771-2543393 www.cgmedicalcouncil.org E-mail: cg_medicalcouncil@yahoo.co.in

क्रमांक / सीजीएमसी / निर्वाचन / 2020 / 28 रायपुर, दिनांक :– **17.01.2020**

आज दिनांक 17.01.2020 को छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् रायपुर के पॉच सदस्यो के निर्वाचन के मतगणना के संबंध में जानकारी हेतु सभी 17 उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया था जिसमें 13 सदस्य उपस्थित हुयें । उपस्थित सदस्यों के समक्ष निर्वाचन के संबंध में आवश्यक विभिन्न विषयों पर चर्चा कर जानकारी दी गई।

अभ्यर्थियो के लिए मतगणना संबंधी जानकारी के संबंध में निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त प्रति सभी अभ्यर्थियों को अवलोकन हेतु दी गई थी । उपस्थित 13 उम्मीदवारो द्वारा उक्त एजेंडा पर अपने सुझाव प्रस्तुत किये गये। उम्मीद्वारो से प्राप्त सुझाव पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा निम्न निर्णय लिया गयाः–

1. मतदान तिथि एवं मतगणना तिथि को 07 दिवस बढायें जाने संबंधी सुझाव दिया गया। निर्वाचन की अधिसूचना समय पर जारी कर दी गई थी एवं संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया अधिसूचना में तिथि वार उल्लेखित है तथा 07 दिवस तिथि बढानें के संबंध में उम्मीद्वारो नें मत भिन्नता के कारण 07 दिवस तिथि तथा मतगणना तिथि बढ़ायें जाने के सुझाव को अमान्य किया गया।

   इसके साथ ही चर्चा में आये एक अन्य सुझाव को मान्य करते हुए शनिवार एवं रविवार को भी कार्यालय खुला रखने एवं मतदान किये जाने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

2. चर्चा के दौरान उपस्थित उम्मीद्वारो द्वारा सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् रायपुर के वेबसाईट में जारी चुनाव संबंधी दिशानिर्देश की कंडिका सात में दिये गये सुझाव के अनुसार बैरंग वापस प्राप्त होने वाले मतपत्रो के बदले ही डुप्लीकेट मतपत्र जारी किये जाने के निर्देश पर आंशिक परिवर्तन करते हुए ऐसे समस्त मतदाताओ को जो मतपत्र प्राप्त नही होने के कारण स्वंय उपस्थित होकर आई डी प्रूफ एवं अंडरटेकिंग देंगें उन्हे भी डुप्लीकेट मतपत्र जारी किया जायें इस सुझाव को मान्य किया गया।

3. उक्त निर्देश एजेंडा के कंडिका क्रमांक सात के संबंध में उपस्थित सभी उम्मीद्वारो के सर्वसम्मति से प्राप्त सुझाव को ध्यान में रखते हुए मतपत्र में (×) के चिन्ह के अलावा (√) का चिन्ह भी विधि मान्य किया जायेगा।

4. उक्तरोक्त एजेंडा क्रमांक 02 में मतपत्र की गणना आपके द्वारा की जानी है को संशोधित कर आपके तथा आपके द्वारा 02 प्रतिनिधियों के समक्ष की जानी है किया गया।

5. मतदान प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी डमी मतपत्र के माध्यम से दी गई। मतपत्र में अंकित अनुक्रमांक की गोपनीयता के संबंध में जानकारी दी गई, जिसमें सभी उपस्थित उम्मीदवारों द्वारा सहमति दी गई।

6. मतगणना की विडियों डिस्प्ले किये जाने का सुझाव दिया गया जिसे मान्य किया गया।

(हस्ताक्षर) 17/01/2020

(डॉ. सुरेन्द्र पामभोई)
रिटर्निंग ऑफिसर
छ.ग. मेडिकल कौंसिल, रायपुर